

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230864 CG-DL-E-01112021-230864

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] No. 530] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2021

सं. एल-1/42/2010-सीईआरसी.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 को विनिर्दिष्ट किया था, जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

- 2. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।
- 3. इस निरसन के होते हुए भी, इस अधिसूचना की तारीख को, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों या राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा कार्यान्वयन के अधीन पहले से ही कार्यान्वयन योजना, यदि कोई हो, निरस्त विनियमों के अधीन अपने सामान्य क्रम में कार्य करती रहेगी।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन**-**III/4/असा./395/2021-22]

6309 GI/2021 (1)

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 संख्या 248 में दिनांक 30.9.2010 को अधिसूचित किया गया था तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 185 में दिनांक 06.9.2011 को अधिसूचित शुद्धिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III खंड 4 संख्या 152 में दिनांक 12.4.2021 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

- **No. L-1/42/2010-CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission had specified the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010 that was amended vide the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) (First Amendment) Regulations, 2021.
- 2. The Central Electricity Regulatory Commission herewith repeals with immediate effect, the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010 along with the Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) (First Amendment) Regulations, 2021.
- 3. Notwithstanding such repeal, Implementation Plan, if any, already under implementation by Regional Load Despatch Centres or State Load Despatch Centres as on the date of this notification, shall run its normal course under the repealed regulations.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./395/2021-22]

**Note:** The Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) Regulations, 2010 were notified in Part III- Section 4 No. 248 of Gazette of India (Extraordinary) dated 30.9.2010, corrected vide corrigendum notified in Part III- Section 4 No. 185 of Gazette of India (Extraordinary) dated 06.9.2011. The Central Electricity Regulatory Commission (Regulation of Power Supply) (First Amendment) Regulations, 2021 was notified vide notification in Part III- Section 4 No. 152 of Gazette of India (Extraordinary) dated 12.4.2021.